म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26. अरेरा हिल्स, जेल रोड़, किसान भवन, भोपाल

क्र/स्थापना/अ-1/उच्च प.प्र./विविध/41/56 भोपाल, दिनांक 09 /02/2026

- आदेश-

राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 16(अ) के तहत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों के उच्च प्रभार दिए जाने के लिए म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार उच्च प्रभार हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 19.01.2026 की अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नांकित मंडी सचिव 'ब' संवर्ग को सचिव 'अ' संवर्ग के उच्च पद का प्रभार सेवा शर्तों के तहत सौपा जाता है :-

(2)

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1	सुश्री ऋतु गढ़वाल	सचिव 'ब'	बरेली
2	श्रे योगेश नागले	सचिव 'ब'	मुख्यालय
3	श्री ओम प्रकाश खेड़े	सचिव 'ब'	खण्डवा
4	श्री रस्सू वसूनिया	सचिव 'ब'	जावरा
5	श्रीमती अर्चना ठाकुर	सचिव 'ब'	मुख्यालय
6	श्रीमती रजनी वर्मा	सचिव 'ब'	उदयपुरा
7	श्री हिम्मत सिंह जमरा	सचिव 'ब'	कुक्षी
8	श्री अरविन्द कुमार परिहार	सचिव 'ब'	देवास

उच्च पद प्रभार सेवा संबंधी शर्ते निम्नानुसार हैं :-

1. उच्च पद का प्रभार प्राप्त अधिकारियों को राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में विहित प्रावधानों के तहत उक्त पद के प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत नियमानुसार कार्य करने के अधिकार होंगे|
2. प्रभार की अवधि में स्थानांतरण हेतु वही नीति लागू होगी, जो बोर्ड द्वारा लागू की है।
3. यदि कोई अधिकारी उच्च पद का प्रभार प्राप्त करने से इंकार करता है या उपस्थित नहीं होता है, तो उसे यथावत मूल पद पर रखते हुए उससे कनिष्ठ को उच्च पद का प्रभार दिया जा सकेगा किन्तु इनकी मूल पद की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं होगा|
4. उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को नियमानुसार वही सभी भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी जो प्रभार प्राप्त करने के ठीक पूर्व के पद का प्राप्त कर रहे थे| वह उच्च पद के वेतन की मांग/दावा नहीं कर सकेंगे| पृथक से अन्य कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।
5. उच्च पद की प्रभार अवधि को मंडी बोर्ड सेवा के उच्चतर पद के वेतनमान/समयमान की पात्रता अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा| जब भी वो नियमित रूप से आगामी पद पर पदोन्नति आदि की कार्यवाही होगी उच्च पद के प्रभार के रूप में की गयी सेवा अवधि को पदोन्नति के पद पर कार्य के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा ।
6. उच्च पद पर कार्य करने वाले किसी अधिकारी को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरीयता का कोई अधिकार नहीं होगा|

7. उच्च पद के रूप में कार्य करते समय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति में जिस प्रकार मूल पद के पेंशन प्रकरण का निराकरण होता है उसी प्रकार इनके प्रकरणों का निराकरण होगा।
8. उच्च पद की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया वही होगी, जो उच्च पद के लिये विहित है।
9. यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा दण्डादेश आदि लंबित हो तो मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय के संयुक्त/उपसंचालक प्रकरण के संबंध में मंडी बोर्ड मुख्यालय को तत्काल अवगत करावेंगे।
10. उच्च पद के प्रभार प्राप्त करने वाले अधिकारी को दंड देने/विभागीय जांच की प्रक्रिया वही होगी जो उच्च प्रभार पद के लिए विहित है।
11. उच्च प्रभार के पद पर प्रभार दिये जाने का आदेश किसी भी समय बिना सूचना दिये निरस्त कर संबंधित को उसके मूल पद पर पुनः भेजा जा सकेंगा। पदस्थापना पूर्ववत रहेगी।

उपरोक्त अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदस्थापना आदेश जारी होने तक उपरोक्त अधिकारी पूर्ववत कार्य करेंगे।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित)

Digitally signed by
Anurag Saxena
Date: 08-02-2026
10:57:46

(अनुराग सक्सेना) (IAS)
अपर प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र/स्थापना/अ-1/उच्च प.प्र./विविध/41/ 57
/02/2026

भोपाल, दिनांक 09/02/2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. अपर संचालक /संयुक्त संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. संयुक्त/उप संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ....जिला.................।
7. श्री/श्रीमती................., सचिव 'ब' कृषि उपज मंडी समिति ....जिला................।
8. आदेश नस्ती/ कार्मिक शाखा/कम्प्यूटर शाखा म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

अपर प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल